भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH **श्री** 08AA 449276

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत

-घोषणा–पत्र-****

यह कि घोषणाकर्ता श्री योगेन्द्र मोहन पिता श्री रामभूषण भटनागर, निवासी 61–ए, साकेत नगर, इन्दौर (जिन्हें इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से घोषणाकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) एतद् द्वारा यह कथन करते है कि :–

(1) यह कि घोषणाकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का निर्माणाधीन भवन शहर इन्दौर के "साकेत नगर" यहां पर प्लाट नंबर 61–ए का है। सदर भूखण्ड घोषणाकर्ता द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज नंबर 1अ/1452 दिनांक 24–9–1974 के द्वारा कय किया गया हैं। सदर प्लाट की लंबाई 70 फीट तथा चौडाई 30 फीट होकर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट है। घोषणाकर्ता के द्वारा सदर प्लाट पर इन्दौर नगर निगम से नक्शा स्वीकृत मानचित्र कमांक 21083 दिनांक 1–6–2010 के अनुसार बहुमंजिला भवन का निर्माण किया है। इस भवन के संबंध में घोषणाकर्ता मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत यह लेख निष्पादित कर रहे हैः–

चतुःसीमा :–

पूर्व में	:	वीरेन्द्र मोहन भटनागर का मकान
पश्चिम में	:	योगेश गुप्ता जी का मकान
उत्तर में	:	सड़क
दक्षिण में	:	कनाड़िया रोड़

अविरत 2

15577 दिनांक 20/5 = 100/-

21 JUL 2011

योगेन्द्र मोहन पिता रामभूषण भटनागर
Thana - 61 - A साकेत नगर इंदौर
इन्दौर

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेन्डर
म. गां. मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क — 100
नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क —
पंचायत अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क —
उपकर अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क —
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क —
[illegible] —

योग — 100

उप पंजीयक, इन्दौर

Bhatnagar योगेन्द्र मोहन S/o रामभूषण भटनागर

द्वारा उप जिला इन्दौर
जिला इन्दौर के उप पंजीयक
कार्यालय में तारीख 25/7/11
को म. पू./म. प. 3.10 बजे
प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक, इन्दौर

Bhatnagar

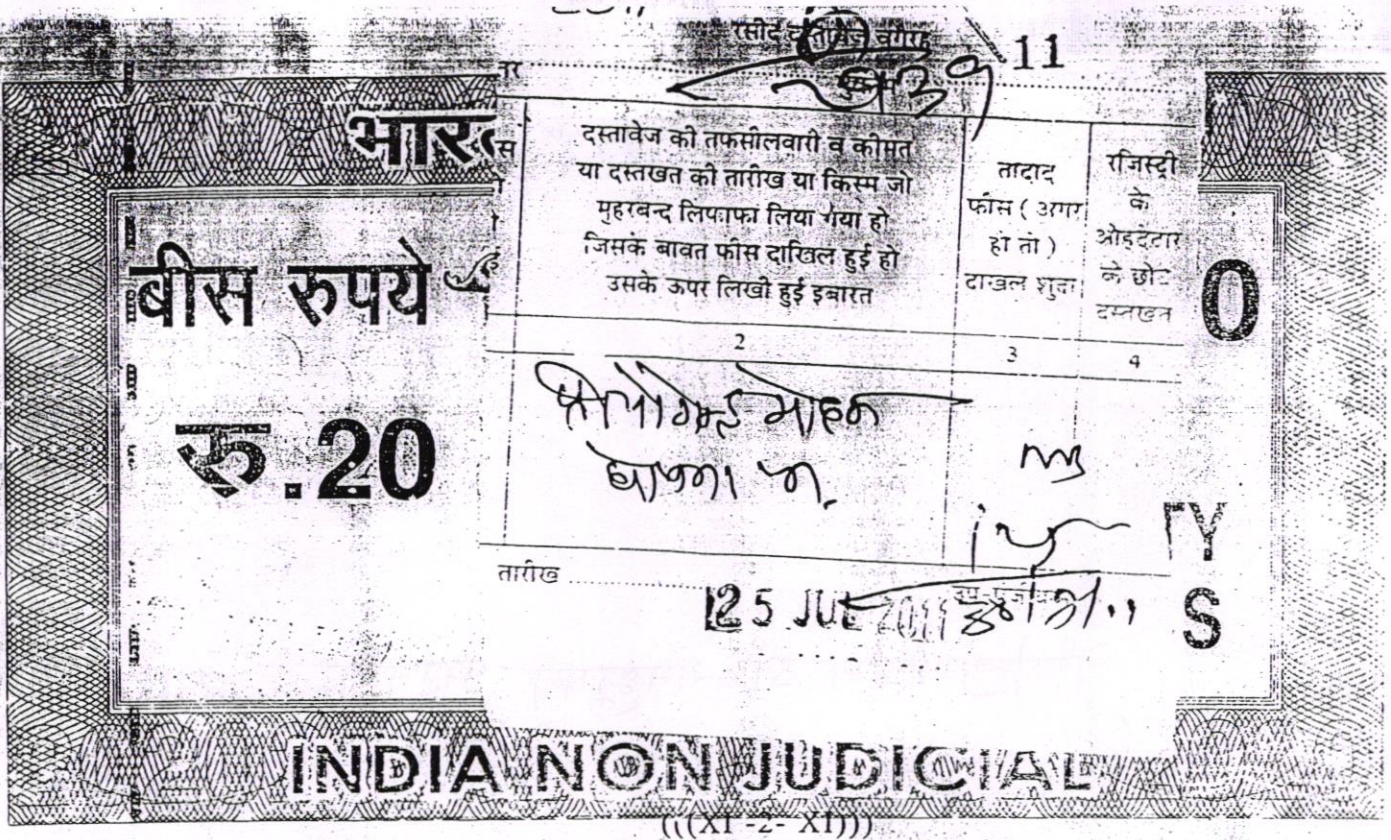

((XI -2- XI)))

(2) यह कि, घोषणाकर्ता ने उपर वर्णित भूमिखण्ड पर संलग्न रेखांक जिन्हे शिल्पज्ञ इन्दौर निगर पालिक निगम के दाखला कमांक 21083 दिनांक 1-6-2010 को अनुमोदित किया गया है के अनुसार "रामकुटी" नामक भवन का निर्माण किया है।

(3) यह कि, उक्त भवन के कुल तीन मंजिल (याने तल घर + 2) है सभी तलो का उपयोग आवासीय सुविधाओं या अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिये किया जाएगा। भूतल (बेसमेंट) दो उपरी तल तथा पेन्ट हाउस जिसमें व्यक्तिक प्रकोष्ठ भी है, सभी आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये है। भूतल तथा उपरी तलों का अलग अलग रूप भागों में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उनका अपना एक ऐसा निर्गम मार्ग है, जहां से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा से पहुंचा जा सकता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ एक या एक से अधिक स्वामियों को सुविधानुसार अलग-अलग भागों में बेचे जाएंगे और उसमें प्रत्येक स्वामियों को उसका विशिष्ट तथा अन्य संपत्ति अधिकार, अधिप्राप्ति तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिवार" इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।) राज्य में तत्समय प्रवत्त किसी भी विधि को अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा हस्तान्तरणिय स्थावर संपत्ति होगा। इस लेख के साथ भवन के चढाव, पेसेज एवं भवन की पानी की मोटर, बोरिंग, पानी की टंकी इत्यादि समस्त प्रकोष्ठ होल्डर के सामुहिक उपयोग एवं उपभोग हेतु रहेगे, जिसका मेन्टेनेन्स सभी प्रकोष्ठधारी सामुहिक रूप से करेगें। निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं पर समस्त रहवासियों को अविभाजित हित भी अभिप्राप्त होगा और उपर्युक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियिम, 2000 के अनुसार होगी, इस अधिनियम की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक प्रकोष्ठधारियों को मान्य होकर उस पर बंधनकारक होगी।

अविरत 3

15578 21 JUL 2011 संलग्न

योगेन्द्रमोहन S/o रामभूषण भटनागर
नि. 61-A साकेत नगर इन्दौर

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेन्डर
म. गां. मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

स्वीकार करते हैं कि तथाकथित
ओमप्रकाश ... का निष्पादन किया

शब्दों ... में
चुकाये ... की
बकाया रकम यथा रु.
रह गई है जो पंजीयन के बाद होगी।
आज तारीख

(1) ओमप्रकाश S/o ज्वालाप्रसाद पंडित
नि. 134 साईनाथ कालोनी इन्दौर

(2) मनोहर S/o शिव सिंह
नि. 57-A साकेत नगर इन्दौर

की पांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गई है।
आज तारीख

उप पंजीयक, इन्दौर

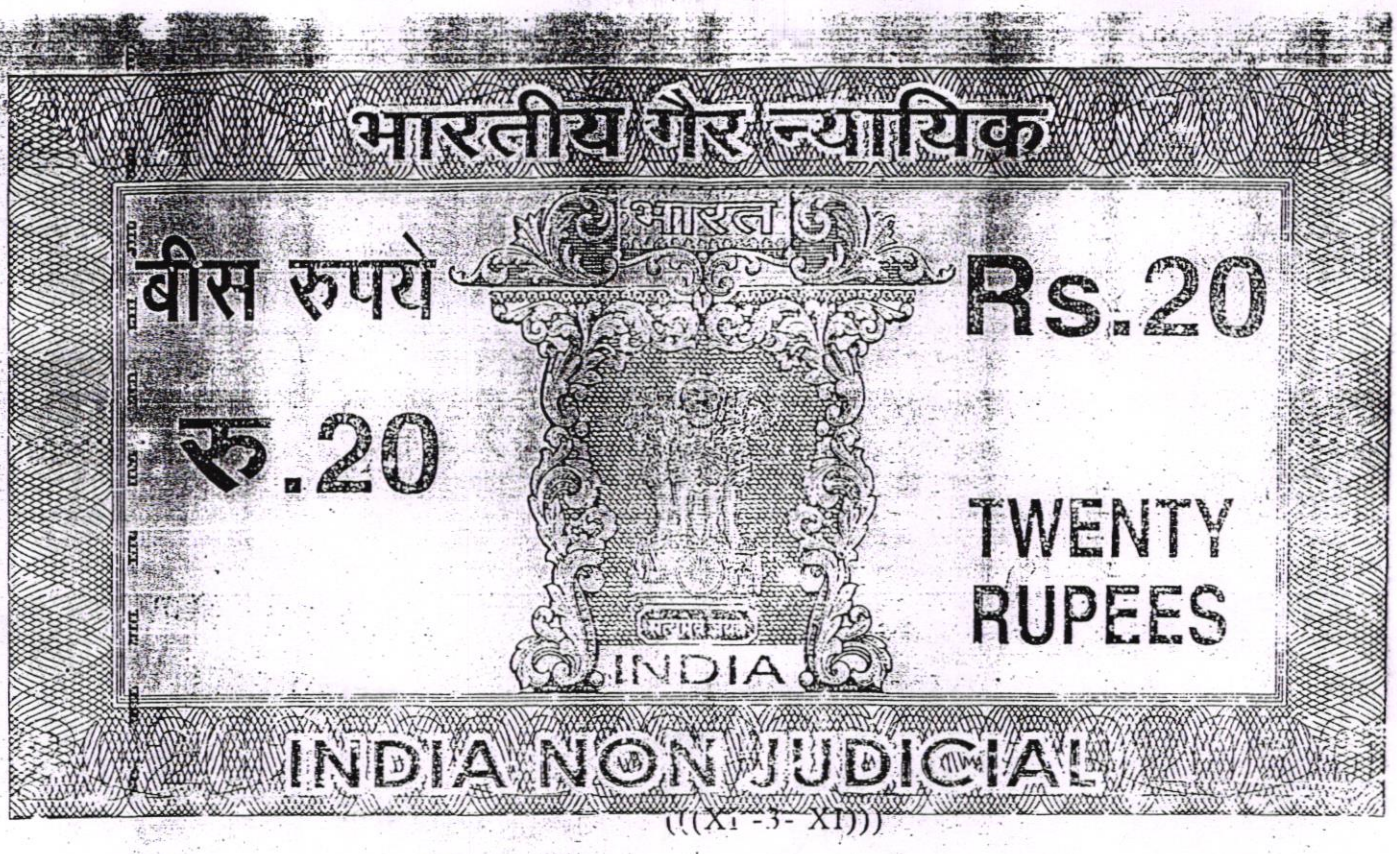

(((XI -3- XI)))

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 08AA 448278

(4) यह कि, उपरोक्त भवन का निर्मित एरिया (सुपर बिल्टप एरिया) करीब नक्शेनुसार होगा इस एरिये में सदर भवन के कामन पैसेज, चढाव इत्यादि का एरिया भी सम्मिलित है।

(5) यह कि, उपरोक्त भवन की पारिवारिक इकाईयां तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी :–

1– यह कि, पारिवारिक इकाईया उपरोक्त सहस्वामित्व भवन के प्रत्येक तल में कमशः पारिवारिक/व्यवसायिक इकाईयां है उक्त इकाईयों को प्रत्येक तल घर में एक प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक बी–1), तल मंजिल में एक प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक जी–1) प्रथम मंजिल में दो प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक 101 व 102) तक की पारिवारिक इकाईयां है? इसमें इसके पश्चात ऐसी पारिवारिक इकाईयों को कमशः पारिवारिक इकाई टाईप कमांक 1 पारिवारिक इकाई टाईप कमांक 2 आदि के रूप में निदेष्टि किया जायेगा।

प्रत्येक पारिवारिक इकाई में विद्युत संयोजन हेतु प्वाइंट उपलब्ध होगे पारिवारिक इकाईयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है पारिवारिक इकाई के माप में सभी बाहरी दिवालें तथा आदि ब्लाक विभाजक दिवाल सम्मिलित है किन्तु भारवाही बियरिंग दिवालें सम्मिलित नहीं है।

अविरत 4

प्रथम पेज ... संलग्न

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेण्डर
म. गां. मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

पक्षकार/साक्षी/अभिकर्ता ... के अंगूठे का निशान मेरे समक्ष ता. 25/7/11 को किया गया।

उप पंजीयक, इन्दौर

पक्षकार/साक्षी/अभिकर्ता ... के अंगूठे का निशान मेरे समक्ष ता. 25/7/11 को किया गया।

उप पंजीयक, इन्दौर

पक्षकार/साक्षी/अभिकर्ता ... के अंगूठे का निशान मेरे समक्ष ता. 25/7/11 को किया गया।

उप पंजीयक, इन्दौर

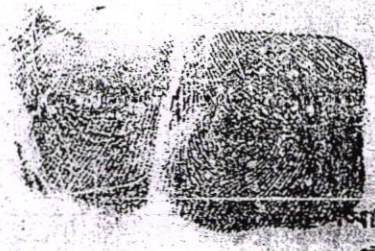

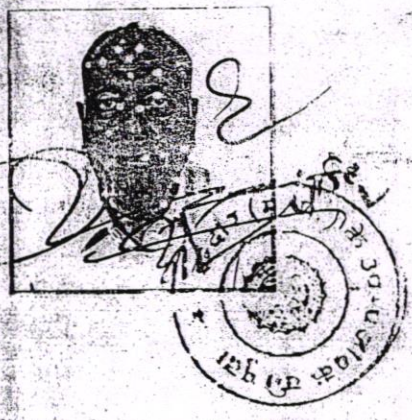

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये   Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH   08AA 449279

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (1)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की तल घर में कुल एक प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर बी–1 का सुपर बिल्टप एरिया 460 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ तल घर पर स्थित होगे।

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (2)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की तल मंजिल में कुल एक प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर जी–1 का सुपर बिल्टप एरिया 2025 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ तल मंजिल पर स्थित होगे।

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (3)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की प्रथम मंजिल में कुल दो प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर 101 का सुपर बिल्टप एरिया 1170 वर्गफीट, प्रकोष्ठ नंबर 102 का सुपर बिल्टप एरिया 1220 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ प्रथम मंजिल पर स्थित होगें।

उपरोक्त प्रत्येक प्रकोष्ठ के मुख्य दरवाजे से संबंधित तल के कारिडार में पहुंचा जा सकता है ।

2– <u>सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं :–</u>

(क) इस विलेख के पहले पेरा में उल्लेखित भूमि –खण्ड
(ख) सम्पूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएं है :–

अविरत 5

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 08AA 449280

(1) भवन की छत पर पानी की एक टंकी
(2) तल मंजिल पर पानी की टंकी, बोरिंग
(3) भवन के रहवासियों हेतु पार्किंग स्पेस ।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है।

(6) यह कि, **"रामकुटी"** सहस्वामित्व भवन (कन्डोमेनियम) जिसमें इस विलेख के पहले तथा पांचवे पेरा में वर्णित भवन तथा भूमि–खण्ड सम्मिलित है, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार होगा ।

(7) यह कि, उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को पारिवारिक इकाईयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत सम्पत्तियों के रूप में हस्तान्तरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वार है, प्रत्येक पारिवारिक इकाईयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित पारिवारिक इकाई पर अन्य तथा विशिष्ठ अधिकार, हक्क और हित है तथा इसके अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है ।

(8) यह कि, सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

अविरत 6

(9) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस पारिवारिक इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिसमें की वह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा।

(10) यह कि, यदि सम्पत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावें तो सम्पत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबन्धित रूप में क्रिया जावेगा !

(11) यह कि, उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेंगे । तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहां करवायेंगे ।

(12) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू–स्वामियों ने सदर भवन के प्रकोष्ठधारिगों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्ति–युक्ति सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोडने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे ।

अविरत 7

(((XI -7- XI)))

यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरह पढ़कर सोच समझकर, पूर्ण होश–हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहें व वक्त जरूरत काम आवें।

इति । 25/7/2017

इंदौर

दिनांक :–

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

साक्षीगण :–

1.सही

नाम

पता

2.सही

नाम

पता

उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार तथा पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो प्रतियो के आधार पर मेरे द्वारा केवल प्रारूपित किया गया हैं। पक्षकारों एवं गवाह की पहचान एंवं संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं हैं।

एडव्होकेट

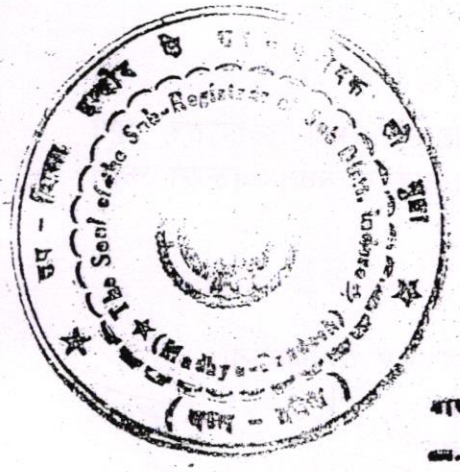

उप - पंजीयक इन्दौर ... The Seal of the Sub-Registrar of Sub Distt. ... (Madhya-Pradesh) (मध्य - प्रदेश)

30/7/11

... ... पुस्तक क्रमांक

...2205... पृष्ठ ...08... पृष्ठ

80 ... ...57 ... पर क्रमांक ...

पर पंजीबद्ध किया गया। 2939

09

उप पंजीयक इन्दौर

2939

मुद्रांक शुल्क ...

पंजीयन शुल्क ... 100

... ... 25

... 125

उप पंजीयक, इन्दौर